11/02/19

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,खीरी।

(शस्त्र अनुभाग)

संख्या–1333/XX–शस्त्र लाइसेंस–निर्देश/श0लि0 दिनॉक: 7–2–2019

प्रेस–विज्ञप्ति

सचिव, उ0प्र0शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग–5, लखनऊ के निर्गत शासनादेश संख्या–जी–I–195/ छ:पु0–5–2019 दिनॉक 21 जनवरी,2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनॉक 12 जुलाई,2018 के माध्यम से आयुध नियम,2016 में संशोधन करते हुए आयुध(दूसरा संशोधन) नियम,2018 के अनुसार शस्त्र लाइसेंस को एन0डी0ए0एल0–ए0एल0आई0एस0 साफ्टवेयर पर डाटा फीडिंग कराकर यू0आई0एन0 जनरेट करने हेतु 31 मार्च,2019 तक समय बढ़ा दिया गया है। यदि कोई शस्त्र लाइसेंसी अपने शस्त्र लाइसेंस पर यू0आई0एन0 दिनॉक 31–3–2019 तक अंकित नहीं कराता है तो ऐसे शस्त्र लाइसेंस 1 अप्रैल,2019 से, विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) के अविधिमान्य समझे जायेंगें।

इसी प्रकार उप नियम (4)के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के नाम एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं तो वह सभी शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करके एक ही अनुज्ञप्ति जारी करने व उस पर सभी शस्त्रों की प्रविष्टि अंकित करने हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करेंगें, जो एक से अधिक दो अथवा तीनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त करके एक ही शस्त्र लाइसेंस पुस्तिका के रूप में जारी करके उनमें अंकित सभी शस्त्रों की प्रविष्टि, लाइसेसों में अंकित अधिकतम सीमा व अधिकतम नवीनीकरण की प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास एन0पी0बोर व पी0बोर दो प्रकार के अलग–अलग लाइसेंस हैं तो उनके द्वारा अलग–अलग आवेदन करना होगा तथा उनकी अलग–अलग दो पुस्तिकायें जारी की जायेगी।

आयुध नियम,2016 के अनुसूची–IV की तालिका ख (सहबद्ध सेवाओं के लिए फीस) के कम संख्या–10 में अनुज्ञप्ति प्ररूप II, III, IV व V के संबंध में अनुज्ञप्ति पुस्तिका (Licence Book) निर्गत किये जाने हेतु 100 रूपया फीस निर्धारित की गयी है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उनके शस्त्र लाइसेंस का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (U.I.N.) जनरेट नहीं हो पाया है अथवा उनके शस्त्र लाइसेंस पर यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (U.I.N.) अंकित नहीं है, तो वह तत्काल अपने लाइसेंस की छायाप्रति, आधारकार्ड, पैनकार्ड, फोटो लगा हुआ 27 बिन्दु शपथ–पत्र शस्त्र अनुभाग में जमा करके अपने लाइसेंस पर यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (U.I.N.) तत्काल अंकित करा लें। शस्त्र लाइसेंस का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (U.I.N.) जनरेट न होने की दशा में शस्त्र लाइसेंस दिनॉक 1 अप्रैल,2019 से अविधिमान्य समझा जायेगा।

इसी प्रकार जिन लाइसेंधारियों के पास एक से अधिक दो या तीन शस्त्र लाइसेंस हैं, वह निरस्त करके एक ही शस्त्र लाइसेंस पर सभी शस्त्र अंकित करते हुए नई पुस्तिका जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र व प्रारूप–3 भरकर कार्यालय में अविलम्ब जमा कर दें, ताकि समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सभी शस्त्र अंकित करके नई एकल अनुज्ञप्ति जारी की जा सके।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,खीरी।

संख्या तथा दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों से माध्यम से जनहित में व्यापक प्रचार–प्रसार निःशुल्क कराना सुनिश्चित करें:–

1– पुलिस अधीक्षक,खीरी।
2– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद खीरी
3– समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, जनपद खीरी।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,खीरी।